

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

🚺 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION " (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office पंचटीप भवन, नन्दानपर, इंटौर 452011(म.प्र.) SOSOUT 2015 Centus and ex al 9001.2015 undPus Phone /Fax: 0731-2550485 E-mail: rd-mp@esic.nic.in Website: www.esic.gov.in

東.: Z/14/2022-ADMIN

दिनांक:16-05-2025

<u>परिपत्र/Circular</u>

विषय: ई.एस.आई.सी.-पी.एम.एस. मे पुनः शामिल होने के इच्छुक पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के संबंध मे।/

Sub: Regarding pensioners/family pensioners wishing to rejoin E.S.I.C.-P.M.S.

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्यालय का पत्रांक: डी-12/16/1/2012-ई-VI.खंड.II दिनांक 04-04-2025 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू अग्रेषित किया जा रहा है।

तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, इंदौर से संबन्धित पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी, जो वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफ.एम.ए.) का लाभ उठा रहे है, वे पेंशनभोगी चिकित्सा योजना (पी.एम.एस.) में पुनः शामिल होने की अपनी इच्छा प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, इंदौर को ईमेल "administration-mp@esic.gov.in" या डांक के माध्यम से, मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु, दिनांक 31-05-2025 तक प्रस्तुत कर सकते है।/

With reference to the above cited subject, Headquarter's letter no. D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II dated 04-04-2025 is being forwarded for information and necessary action.

Accordingly concerned Pensioners/Family Pensioners of Regional Office, E.S.I.C., Indore, who are currently availing the benefit of Fixed Medical Allowance (F.M.A.), may submit their desire to re-join the Pensioner Medical Scheme (P.M.S.) to Administration branch, Regional Office, E.S.I.C., Indore through email "administration-mp@esic.gov.in" or post, by 31-05-2025, for onward transmission to Headquarters.

यह क्षेत्रीय निदेशक महोदय के आदेश से जारी किया गया है। This is issued by order of the Regional Director.

संलग्न/Encl.: यथोपरि/As above.

Digitally signed by Rahul Bhardwaj Date: 16-05-2025 ¹(राष्ट्रिनं⁵भारद्वाज) उप निदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि/Copy to:

- क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, इंदौर के समस्त संबन्धित पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स।/All concerned Pensioners/Family Pensioners of Regional Office, E.S.I.C. Corporation, Indore.
- 2. सचिव, क.रा.बी. निगम पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्यप्रदेश।/Secretary, E.S.I.C. Corporation Pensioners Association, Madhya Pradesh.
- 3. वैबसाइट की प्रति।/Website copy.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (अम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION E.S.C. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



े मुख्यालय Headquarters

पंचदीप भवन सी॰ आई॰जी रोत , नई दिल्ली-110002 PANCHDEEP BHAWAN, CI G. MARG, NEW DELHI-110 002 Phone 011-23604700 Email dir-gen@esic.nic.in Website www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No.D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II

दिनांक: 04-04-2025

सेवा में.

सभी नोडल अधिकारी (ESIC-PMS)

> विषय: ईएसआईसी पीएमएस योजना में पुनः शामिल होने के इच्छुक पेंशनभोगियों का विवरण Details of Pensioners who wish to re-join ESIC-PMS scheme-reg

महोदय/महोदया.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, विभिन्न हितधारकों से ईएसआईसी पेंशनभोगी चिकित्सा योजना में शामिल होने के लिए उन्हें प्राप्त फ़िक्स्ड मेडिकल एलोवेन्स की वापसी के लिए छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए Ť١

With reference to above subject, requests have been received from various stakeholders to provide waiver for refund of Fixed Medical Allowance received by them for joining ESIC Pensioners' Medical Scheme.

ईएसआईसी पीएमएस के 25.5.2021 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पीएमएस में प्रवेश के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करता है तो उसे 30 रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा एवं उसके द्वारा प्राप्त FMA को वापस करना होगा।

As per revised guidelines of ESIC PMS 25.5.2021, If the pensioner submits his option for entry to PMS after the date of retirement he would be required to pay an admission fee of Rs. 30 and refund the FMA received by him.

सभी नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उन पेंशनभोगियों के संबंध मेंनिम्नलिखित प्रारूप में डेटा उपलब्ध कराएं जो ESIC PMS में फिर से शामिल होना चाहते हैं:

All Nodal Officers are requested to provide data in r/o pensioners who wish to re-join ESIC Pensioners' Medical in following format:

	Number of	pensioners	pensioners who	Amount of FMA to be refunded as per existing guidelines from 25.5.2021
Name of the Location				

-

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of competent authority.

भवदीय,

Digitally signed by Amresh Kumar Jha Date: 04-04-2025 सञ्चर्गग्रेटीदेक्षुल (स्था-6)

प्रतिलीपी: 1. All India ESIC Pensioners' Federation 2. Website Content Manager